(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 136/पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.12.2014 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 223/अपील/12-13.

बाबूलाल कीर वल्द नंदराम
निवासी ग्राम तालनगरी, तह. व जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद
2. हीरालाल वल्द मुल्लू हरिजन
   निवासी ग्राम गुनौरा तहसील डोलरिया,
   जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 18.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, होशंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित कर बताया गया कि अनावेदक क्र. 2 हीरालाल वल्द मुल्लू साकिन तालनगरी तहसील होशंगाबाद की मौजा तालनगरी भूमि सर्वे नंबर 158/6, 158/7 जिसका चकबंदी का नया नं. 250 रकबा 3.00 एकड़ भूमि का पट्टा कृषि कार्य हेतु दिया गया था, किंतु उसके द्वारा आवेदक बाबूलाल को कलेक्टर/अपर कलेक्टर (सक्षम प्राधिकारी) की पूर्व लिखित विक्रय अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि, विक्रय कर दी गई और उक्त भूमि का नामांतरण भी हो गया। नामांतरण शून्यवत घोषित

करने एवं पट्टा निरस्त करने की अनुशंसा की गई। तदानुसार अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा अनुशंसा करते हुए प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 को संहिता की धारा 165(ख) के उल्लंघन में भूमि का विक्रय किये जाने के कारण पट्टा तथा नामांतरण निरस्त करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाकर जवाब पूछा गया। उनके द्वारा दिनांक 27.12.2003 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब संतोषजनक प्रतीत न होने के कारण प्रकरण का निराकरण गुणागुण पर किये जाने पर विचार किया गया। कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्र. 49/अ-39/2001-02 दर्ज कर दिनांक 03.01.2004 को आदेश पारित कर अंतरण निरस्त किया गया एवं तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि वह पट्टे प्रदाय करने के नये नियमों के अंतर्गत प्रकरण का परीक्षण करे कि क्या अनावेदक क्र. 2 पट्टा प्राप्त करने के योग्य है अगर विपरीत स्थिति पाई जाती है तो तदानुसार पट्टा निरस्ती की कार्यवाही प्रारंभ करे। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 18.12.2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अंतिम पेशी दिनांक 26.09.2018 को अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो में उठाये गये बिंदुओं के आधारों पर किया जा रहा है। आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमो में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की गंभीर भूल की है। इस कारण पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में अनावेदक पक्ष की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अनावेदक को दिनांक 18.12.2014 को धारा 5 के आवेदन पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गई है और प्रकरण दिनांक 01.01.2015 को जवाब तर्क हेतु नियत किया गया लेकिन दिनांक 18.12.2014 को ही प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 165 के प्रावधानों को नहीं समझ पाने की गंभीर भूल की है। उन्हें देखना चाहिए था कि अनावेदक क्र. 2 हरिजन है और इस कारण से उसे भूमि विक्रय करने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रही है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक ने विक्रय पत्र दिनांक 01.02.1993 के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त भूमि अनावेदक क्र. 2 से क्रय की गई है और अनावेदक क्र. 2 हरिजन जाति का होने से उसे भूमि विक्रय करने की अनुमति देने की विधिक आवश्यकता नहीं रही है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि अनावेदक क्र. 2 को भूमि आदेश दिनांक 19.09.1982 के अनुसार पट्टे पर प्राप्त हुई है और दस वर्ष के अंदर पट्टेदार को भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आवेदक ने दिनांक 01.02.1993 को भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है और भूमि क्रय करने के पश्चात् निरंतर उसका कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि पट्टे की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन आवेदक द्वारा नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप पट्टा निरस्त करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को समझे बगैर कथित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।

(6) आवेदक ने उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि के संबंध में स्वत्व की घोषणा करा पाने हेतु एक व्यवहार वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया है। उक्त दावे का निराकरण गुण दोषों पर किया जाकर दिनांक 13.05.2008 को निर्णय पारित किया जाकर आवेदक बाबूलाल को उसके द्वारा क्रय की गई भूमि का मालिक स्वामी स्वत्वधारी घोषित किया है तथा आवेदक के कब्जे में दखलअंदाजी करने से स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अनावेदकगण को रोका गया है। उक्त निर्णय के फलस्वरूप आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का मालिक स्वामी मान्य करना चाहिए था।

(7) आवेदक ने कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कभी किसी न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है और कभी किसी वरिष्ठ न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त ने यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण लिया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जिसका निराकरण हो चुका है। आवेदक ने पहली बार आयुक्त के समक्ष आदेश की जानकारी होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर करना चाहिए था न कि तकनीकी आधार पर लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को तकनीकी

आधार पर समयावधि बाह्य अपील मानते हुए आवेदक की अपील निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष कलेक्टर के आदेश दिनांक 03.01.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.05.2006 को ही निरस्त की जा चुकी है, इस तथ्य को छुपाकर वर्ष 2013 में आवेदक द्वारा दोबारा अपील आयुक्त को की गई है, जो कि आयुक्त द्वारा निरस्त कर आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होनें से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर